

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 279/2023

1. देवकरण पुत्र पेमा जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. प्रभुदयाल पुत्र पेमा जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र पेमा जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. अमर सिंह पुत्र त्रिलोका जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सुभाष पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. कविता देवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडताना तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. कुसुम पुत्री रणजीत जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. तुलसी देवी पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. तारामणी पत्नी रणजीत जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. पूजा कुमारी पुत्री रणजीत जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. विमला पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. भंवरी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11. मनसू पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
12. मनीषा पुत्री रणजीत जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
13. राकेश पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
14. लीलाधर पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
15. विनोद पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।



47

40. हरिसिंह पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
41. रामनिवास पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
42. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
43. महाकोरी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
44. कैलाश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
45. प्रेमकुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
46. परमेश्वरी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
47. राजेन्द्र पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
48. हरिसिंह पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
49. प्रभुदयाल पुत्र हिरा जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
50. कमला पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
51. पंतासी देवी पत्नी गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
52. बलबीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
53. रेशमी पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
54. लालचंद पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
55. सुभिता पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी बागा पडतान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
56. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – मोहम्मद रशीद खान
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थनापत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 04.12.2024



संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ढाणी बागा पडतान भूमि वर्तमान खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 226/116 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 268/117 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्टर तथा खाता संख्या 88 के वर्तमान खसरा नम्बर 260/116 रकबा 0.13 हैक्टर जो कि प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी काश्तकारी अधिकार एवं कब्जे की भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 264/116 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 267/117 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा नम्बर 270/66 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/66 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 273/68 रकबा 0.71 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.21 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी अधिकार एवं कब्जे की भूमि है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि की नपती व सीमाज्ञान हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय मलसीसर के यहां पेश किया था जिस पर नियमानुसार तहसीलदार महोदय ने उक्त भूमि की नपती व सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी को आदेशित किया गया था जिस पर दिनांक 18/05/2023 को पटवारी मौके पर आया व उक्त भूमि की नपती की जाकर सीमाज्ञान कराया गया व नजरी नक्शा तैयार किया गया। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा करवा कर उसकी नपति अनुसार उसके हिस्से की भूमि पर पत्थरगडी करवाये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि की पटवारी द्वारा नपती की जाकर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा पटवारी ने अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दी है उक्त भूमि के बाबत बार बार नपती नहीं करनी पड़े व सीमाज्ञान नहीं कराना पड़े इसलिए पटवारी द्वारा दिनांक 18/05/2023 को बताये गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी करवाया जाना न्यायोचित है ताकि काश्तकार सही ढंग से अपनी भूमि को काश्त कर सके व अनावश्यक झगडों से बच सकें व बार बार काश्तकार को नपती नहीं करवानी पड़े इसलिए उक्त भूमि की पत्थर गड्डी किया जाना न्यायोचित है तथा अगर किसी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है तो उक्त भूमि को अप्रार्थीगण से बेदखल कर सीमाज्ञान करवाते हुवे पत्थरगडी किये जाने के आदेश प्रदान करें। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2023 के मुताबिक पत्थरगडी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगडी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 55 बाद तामिल अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 55 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 के पत्थरगडी करवाये जाने का अनुरोध किया।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 18.05.2023 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढाणी बागा पडतान भूमि वर्तमान खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 226/116 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 268/117 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्टर तथा खाता संख्या 88 के वर्तमान खसरा नम्बर 260/116 रकबा 0.13 हैक्टर जो कि प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी काश्तकारी अधिकार एवं कब्जे की भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 264/116 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 267/117 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा नम्बर 270/66 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/66 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 273/68 रकबा 0.71 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.21 हैक्टर भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

११/१२/२४
(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

